

[15]

[1] संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (अंडमान और निकोबार आईसलैंड्स) नियम, 2017

अधिसूचना क्रमांक 5/2017 – संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 30.06.2017

केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, *2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (1) के अनुसरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

नियम 1 : संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) नियम, 2017 है।
 - (2) ये 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त होंगे।
-

* राजपत्र में "1917" छपा है।